

आधार अब भी वैध : सुप्रीम कोर्ट

संदर्भ

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पाँच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अपने एक नरिणय में आधार योजना को संवैधानिक रूप से मान्य माना है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय की इस पीठ ने आधार अधिनियम के संबंध में कई प्रावधान भी किये हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय के बाद नजिता के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप आधार को आलोचकों और विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा नागरिकों की गोपनीयता पर घुसपैठ के रूप में पेश किया गया था। पाँच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ में से चार ने हाल ही में फैसला दिया है कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को संकषम बनाने वाला कानून नागरिकों की गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि यह परियोजना हाशिये वाले वर्गों को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर विभिन्न सेवाओं, लाभ और सब्सिडी को प्राप्त करने में संकषम बनाती है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कुछ मुख्य विशेषताएँ

- सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा है कि डेटा की सुरक्षा के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये गए हैं और आधार के द्वारा नागरिकों की नगरानी शुरू करना मुश्किल है।
- मुख्य न्यायाधीश दीपक मशिरा की अगुवाई में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सरकार से अधिक सुरक्षा उपाय प्रदान करने के साथ-साथ डेटा के भंडारण की अवधि को कम करने के लिये कहा।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक खाता खोलने और मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने के लिये आधार अनिवार्य नहीं किया जा सकता है।
- इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि स्कूल में दाखला लेने के लिये आधार को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिये और प्रशासन इसे अनिवार्य नहीं बना सकता है।
- हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिये आधार और पैन को अनिवार्य बना दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये अवैध प्रवासियों को आधार जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निजी कंपनियों आधार की मांग नहीं कर सकती हैं।
- उल्लेखनीय है कि आधार की संवैधानिक वैधता पर फैसला सुनाने के दौरान न्यायाधीश सकिरी ने कहा कि आधार कार्ड और पहचान के बीच एक मौलिक अंतर यह बना हुआ है कि इसमें एक बार बायोमेट्रिक जानकारी संग्रहीत होने के बाद, यह सस्टिम में बनी रहती है। साथ ही, आधार एक अद्वितीय पहचान है।
- सुप्रीम कोर्ट ने आधार कानून के उस प्रावधान को इजाजत दे दी है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर डेटा साझा करने की बात शामिल है।
- आधार समाज के हाशिये वाले वर्गों को संकषम बनाना है और उन्हें एक पहचान देता है। न्यायमूर्ति सकिरी ने कहा है कि "सर्वोत्तम होने की बजाय अद्वितीय होना बेहतर है" और आधार अनुपातिकता के सिद्धांत को पूरा करता है।

आधार क्या है?

- केंद्र सरकार की ओर से भारतीय वशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India-UIDAI) द्वारा दिये जाने वाले आधार कार्ड की शुरुआत प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक वशिष्ट पहचान संख्या देने के लिये की गई थी।
- आज जसि स्वरूप में हम इसे देखते हैं उसमें सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले अधिकांश लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये आधार संख्या का होना अनिवार्य है।
- इस योजना के तहत भारत सरकार की ओर से एक ऐसा पहचान-पत्र जारी किया जाता है जिसमें 12 अंकों की एक वशिष्ट संख्या होती है।
- चूँकि इसमें बायोमेट्रिक पहचान शामिल होती है, इसलिये अब किसी भी व्यक्ति के बारे में अधिकांश जानकारी इन 12 अंकों की संख्या के ज़रिये प्राप्त की जा सकती है।
- इसमें उसका नाम, पता, आयु, जन्म तिथि, उसके फगिर-प्रति और आँखों की स्कैनगि तक शामिल है।

हालिया नरिणय की परासंगकितता

- यह नरिणय इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह न केवल आधार के दायरे को बताता है, बल्कि एक ढाँचा भी प्रदान करता है जिसके अंतर्गत यह काम कर सकता है।
- हालिया नरिणय में बहुमत की राय ने कल्याणकारी लाभ, सब्सिडी और भारत के समेकित नधि से खर्च किये गए पैसे से संबंधित पहलुओं के लिये आधार योजना को सीमिति करने की मांग की है।
- साथ ही आधार अधिनियम, 2016 की धारा 57 (वर्ततीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) को काफी हद तक सीमिति किया

गया है उल्लेखनीय है कियह धारा के तहत किसी अधिकृत संस्थान, कॉर्पोरेट और व्यक्तियों को किसी की पहचान स्थापति करने के लिये आधार संख्या का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

- सुप्रीम कोर्ट में आधार अधिनियम की धारा 57 को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करने वाला बताया गया और यह भी कहा गया है कि अगर नजि एजेंसियों को आधार नंबर के प्रयोग की छूट दी गई तो इन आँकड़ों का दुरुपयोग होगा।
- अधिकारिक आँकड़ों की मानें तो परमाणीकरण वफिलता के कारण 24% से अधिक को छोड़कर इसमें शामिल होने वाले 99.76% लोगों ने इस योजना की नरितरता को बनाए रखने का पक्ष लिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉडरिंग अधिनियम (रकिॉर्ड्स रखरखाव नयिम), 2005 की रोकथाम के नयिम 9 में वर्ष 2017 में लाए गए संशोधन के हसिसे के रूप में आधार को बैंक खातों के साथ म्यूचुअल फंड, करेडिट कार्ड, बीमा पॉलिसी इत्यादि जैसे अन्य सभी वतितीय उपकरणों से जोड़ना अनविर्य था, को असंवैधानिक घोषति कया है।
- दरअसल, यह संशोधन बैंकिंग वविरण तक पहुँचकर व्यक्त की गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा था। इस नरिणय में कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दया है कि मनी लॉडरिंग या ब्लैक मनी की रोकथाम के तहत ऐसे व्यापक प्रावधान नहीं हो सकते, जो देश के हर नविसी को एक संदगिध व्यक्त के रूप में लक्षति करता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आधार को रेगुलर बलि की तरह पारति कया जा सकता है, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में इसे मनी बलि के तौर पर पारति कया गया था। राज्यसभा को मनी बलि के संदरभ में सीमति शक्तयिँ ही प्राप्त हैं, अतः सरकार के लिये यह आसान है कि किसी गतरिध की स्थति से बचने के लिये किसी बलि को मनी बलि घोषति करके राज्यसभा से पारति करवा ले।
- कोर्ट ने उपर्युक्त मुददे को संबोधति करते हुए कहा है कि धारा 7, जो किसी भी सरकारी सब्सिडी, लाभ या सेवा प्राप्त करने के लिये आधार के उपयोग को सक्षम बनाती है और जनिके लिये भारत के समेकति नधि से वयय कया जाता है, को कानून के मूल प्रावधान में 'मनी बलि' माना जाता है।
- हालाँकि, बहुमत के फैसलों से हटते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड ने पूरी आधार परयोजना को असंवैधानिक कहा।
- दरअसल, आधार अधिनियम 2016 को धन वधियक के रूप में पास करने को न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने असंवैधानिक कहा। उन्होने यह भी कहा कि किसी वधियक को धन वधियक के रूप में वर्गीकृत करने के अधयकष के अधिकार की न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिये।
- न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने वरिध में दयि अपने फैसले में कहा कि "अगर संविधान को राजनीतिक प्रभुत्व, ताकत के प्रभाव और अर्थोरटि से बचाना है तो कानून के शासन को मानना ज़रूरी है"।

नषिकर्ष

सुप्रीम कोर्ट का हालिया नरिणय न केवल आधार के दायरे को बताता है, बल्कि एक ढाँचा भी प्रदान करता है जिसके अंतर्गत यह काम कर सकता है। यह आधार से जुड़े वभिन्न वविदासपद मुददों जैसे- आधार से जुड़े नागरिकों के गोपनीय डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चति करने हेतु सरकार को दशिया-नरिदेशति करने के साथ ही राजनीतिक प्रभुत्व, ताकत का प्रभाव और अर्थोरटि से भी आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालाँकि, इस संबंध में जनि बदिओं पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने वरिध में फैसला दया है उन पर भी गंभीरता से वचिर करने की आवश्यकता है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/aadhaar-survives>